प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 28 मार्च, 2018**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में संस्थान में 03 नग माडुलर ओ0टी0 के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-पीजीआई/सिविल/अभि0/यूनिट-3/एन0बी0-104/2017/1103/ 2017, दिनांक 02-11-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान में 03 नग माडुलर ओ0टी0 के निर्माण हेतु रू0 1527.26 लाख प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में 03 नग माडुलर ओ0टी0 के निर्माण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित/अनुमोदित लागत रू0 1233.60 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1. संस्थान द्वारा प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रापत होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक संस्थान की होगी।
3. प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
4. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेक्स चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
5. संस्थान द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप संस्थान द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
6. [redacted] प्रायोजना में जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।
7. अपर परियोजना प्रबन्धक (वि0) उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि माडुलर ओ0टी0 के स्पेशीफिकेशन डीजीएमई के पत्रांक दिनांक 21 मार्च 2016 द्वारा निर्धारित है। अतः इसमे कोई अतिरिक्त कमी न की जाय। अन्यथा की स्थिति में यह कार्य पूर्ण नहीं हो सकेगा। अतः इस मद में प्रस्तावित धनराशि यथावत अनुमन्य की गयी है। इसका समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
8. प्रायोजना में प्रस्तावित कतिपय कार्यमदें यथा-माड्यूलर ओ0टी0 (आयातित) ए0सी0 के कार्य, इंन्ट्रीगेशन सिस्टम (ए0सी0), नेटवर्किग सिस्टम, प्री-फेब रूम तथा मेडिकल गैस पाईप लाइन आदि से संबंधित कार्यो की लागत एकमुश्त/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है, इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संस्थान के निदेशक द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना संसुगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाय।

9. प्रायोजना प्रस्ताव में पूर्व निर्मित पुरानी लाइब्रेरी के स्थान पर नये माड्यूलर ओ0टी0 का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। अत: उक्त निर्माण कार्य को तोडने से पूर्व संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय तथा ध्वस्तीकरण के पश्चात मलवे से प्राप्त धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

10. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन, नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि, लोड वियरिंग के स्थान पर फेम्ड स्ट्रक्चर पर निर्माण कराया जाना, सामान्य फाउण्डेशन के स्थान पर फाइल/राफ्ट फाण्डेशन पर निर्माण कराया जाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति से संस्थान द्वारा 03 माह के अन्दर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

11. उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इस संस्थान अपने स्तर सुनिश्चित करेंगे।

12. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक संस्थान का होगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1003/दस-2018, दिनांक 28 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 73/2018/1223(1)/71-2-18-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
6. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ (आय-व्ययक)-2
7. प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, लखनऊ।
8. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
9. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।